

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प02/2017/

दिनांक : /08/2017

—: संशोधित आदेश :—

डा0 सुनील कुमार, चिकित्सा अधिकारी (दन्त) को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं012(5)चिस्वा/2/17/एस-3579 दिनांक 03.04.17 के द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15308/2013 के पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 07.09.16 की पालना में उच्च अध्ययन, एम.डी.एस. पूर्ण करने के पश्चात् राज्य सेवा में पुनः कार्यग्रहण करवाने की अनुमति रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अत्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की गई थी के क्रम में डा0 सुनील कुमार का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाड, जोधपुर में किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए इनका पदस्थापन जिला चिकित्सालय झुन्झुनू में तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प02/2017/ 276

दिनांक 08/08/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जौन-संबंधित।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी, संबंधित।
6. सम्बन्धित चिकित्सकों को पालनार्थ।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट/संबंधित की ई-मेल आई.डी. पर डलवाना सुनिश्चित करावे।
8. निजी/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर